शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर–सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए

पूर्व विद्यालय शिक्षा दिशा–निर्देश

(सत्र 2022–23)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृष्ठभूमि	3
2	आरटीई अधिनियम के अनुसार निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश प्रक्रिया	4–11
3	परिशिष्ट :–	
	1.आदेश/परिपत्रों का सारांश	12
	2.प्रवेश के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप	13–14
	3.प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी उदाहरण	15
	4.सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न	16
	5.परिशिष्ट–5 (वार्ड परिवर्तित होने अथवा अस्पष्ट होने की स्थिति में)	17
	6.परिशिष्ट–6 (आय प्रमाम पत्र इस रूप में ही मान्य होगा)	18

अध्याय–1 : पृष्ठभूमि

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को कक्षा–1 एवं पूर्व विद्यालय शिक्षा की सभी कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीट्स पर ''दुर्बलवर्ग'' एवं ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालक–बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी।

राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2012–13 से प्रवेश दिये जा रहे है। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पात्र प्रवेशार्थियों की फीस का पुर्नभरण भी किया जा रहा है।

राज्य में लगभग 39,000 गैर सरकारी विद्यालय संचालित है। इन सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पन्न करवाना, समय पर पुर्नभरण करवाना एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग करवाने का कार्य श्रमसाध्य है। इसको दृष्टिगत रखते हुये सत्र 2013–14 से राज्य सरकार ने यह सम्पूर्ण कार्य ऑन लाइन किये जाने का निर्णय लिया।

स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा NIC के सहयोग से वेब पोर्टल का निर्माण किया तथा सत्र 2013–14 से प्रवेश, भौतिक सत्यापन की मॉनटरिंग व पुनर्भरण की प्रक्रिया को ऑन लाइन किया गया। समस्त कार्यों को ऑन लाइन करने से अभिभावकों, विद्यालयों व शिक्षा विभाग के कार्यालयों का कार्यभारतो कम हुआ ही साथ ही समस्त व्यवस्थाओं में पारदर्शिता भी स्थापित हुई। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में डी.बी.सी. याचिका संख्या 9887/2020 में आदेश दिनांक 23.05.2022 की पालना में वर्ष 2022–23 हेतु गैर सरकारी विद्यालयों की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आरटीई के तहत निःशुल्क सीट्स पर अस्थाई प्रवेश हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। निःशुल्क सीट्स पर होने वाले उक्त अस्थाई प्रवेश माननीय खंडपीठ द्वारा उक्त विषयक याचिकाओं में पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन होंगे। **अतः निःशुल्क सीट्स पर होने वाले उक्त अस्थाई प्रवेश को स्थाई/निरस्त किए जाने का निर्णय शासन स्तर से लिया जा सकेगा।**

ये दिशा–निर्देश गैर सरकारी विद्यालयों, माता–पिता एवं अभिभावकों तथा विभागीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दिशा निर्देश शिक्षा का अधिकार मूल अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियम, 2011 तथा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार किये गये हैं।**(संलग्न परिशिष्ट–1**)

अध्याय–2:प्रवेश प्रक्रिया

01. विद्यालय पूर्व शिक्षा हेतु प्रवेश – निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में संचालित समस्त पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक **"दुर्बल वर्ग"** एवं **"असुविधाग्रस्त समूह"**के बालकों को निःशुल्क पूर्व विद्यालय शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। **माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच में डी.बी.सी. याचिका संख्या 9887/2020 में आदेश दिनांक 23.05.2022 की पालना में वर्ष 2022–23 हेतु गैर सरकारी विद्यालयों की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आरटीई के तहत निःशुल्क सीट्स पर अस्थाई प्रवेश दिए जाने हैं। निःशुल्क सीट्स पर होने वाले उक्त अस्थाई प्रवेश माननीय खंडपीठ द्वारा उक्त विषयक याचिकाओं में पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन होंगे। अतः निःशुल्क सीट्स पर होने वाले उक्त अस्थाई प्रवेश को स्थाई/निरस्त किए जाने का निर्णय शासन स्तर से लिया जा सकेगा। गैर सरकारी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में** सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक–बालिकाओं में से जो बालक–बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टी.सी. ले जा चुके हैं उनके नामों को पोर्टल से हटाना होगा। निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि **पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में** प्रवेशित बालक–बालिकाओं में से निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालक–बालिकाओं की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। निःशुल्क व सशुल्क बालकों का अनुपात निम्नानुसार रहेगाः–

कक्षा	सःशुल्क बालकों की संख्या	निःशुल्क बालकों की संख्या
PP3+	**समस्त नवप्रवेशित सशुल्क बालक**	**नवप्रवेशित सशुल्क बालकों के 25 प्रतिशत**
PP4+	**PP3+ से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक**	**(PP3+ से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक - PP3+ से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक) का 25 प्रतिशत**
PP5+	**PP4+ से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक**	**(PP4+ से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक - PP4+ से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक) का 25 प्रतिशत**

नोटः– शैक्षिक सत्र 2022–23 में कक्षा–01 में निःशुल्क प्रवेशित बालकों को किसी भी स्थिति में निःशुल्क शिक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा।

02. प्रवेश के लिए पात्रता –आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्ते निम्न प्रकार होंगी :–

2.1 **बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस–पास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिएः–**राज्य के आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्डतथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांवमें निवास करने वाले बालक–बालिकाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहॉ से वांछित संख्या में बालक–बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। **किसी भी स्थिति में विद्यालय से सम्बन्धित शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक–बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।**

2.2 बालक ''दुर्बल वर्ग'' या ''असुविधाग्रस्त समूह'' से संबंधित होना चाहिए :–

2.2.1 दुर्बल वर्ग– राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No-21(19)Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार ''दुर्बल वर्ग'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(a) ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है।

2.2.2 असुविधाग्रस्त समूह–राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No-21(19)Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 18मई, 2020 के अनुसार ''असुविधाग्रस्त समूह'' में निम्नलिखितसम्मिलित हैं–

(a) अनुसूचित जाति के बालक

(b) अनुसूचित जन जाति के बालक

(c) अनाथ बालक

(d) एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता–पिता/संरक्षक के बालक

(e)युद्ध विधवा के बालक

(f)निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो।

(g) पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50लाख रूपये या उससे कम है।

(h)ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी.एल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची)में सम्मिलित है।

2.3 प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रताः– पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार
होगीः–

क.सं.	कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1	Pre Primary 3+ (PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
2	Pre Primary 4+ (PP.4+)	3 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम
3	Pre Primary 5+ (PP.5+)	4 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम

नोट–

01.विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक–बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष **31 मार्च, 2022** को पूर्ण होनी चाहिए।

2.4 निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्रः–बालक/अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल **(6 माह से पुराना नहीं हो)**/पानी का बिल **(6 माह से पुराना नहीं हो)** भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा परीसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित **अतिरिक्त दस्तावेज भी देना अनिवार्य** होगा। अतः अभिभावक निवास प्रमाण पत्र में वैधानिक दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–5) भी अपलोड करें।

2.5 निःशुल्क प्रवेश हेतु "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" से संबंधित प्रमाण पत्रः–"दुर्बल वर्ग "एवं" असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या केंसर से पीड़ित बालक/अभिभावक के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र द्वारा दी गयी रिपोर्ट मान्य होगी।

2.6 निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये दस्तावेजः– प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति मेंः–

(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख

(ख) आँगनबाड़ी अभिलेख और

(ग) आधार कार्ड

उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा **परन्तु प्रवेश के उपरान्त भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण–पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।** प्रवेश उपरान्त जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

03. प्रवेश का टाईम फ्रेमः–

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्सपर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :–

क्र.सं.	विवरण/गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिनांक 06.02.2023	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	06 फरवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक	संबंधित अभिभावक
3	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	15 फरवरी 2023	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
4	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	15 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक	अभिभावको द्वारा
5	आवेदन पत्रो की जांच करना	15 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक	गैर सरकारी विद्यालय
6	विद्यालय द्वारा आवेदन को **Correction/reject** किये जाने की शिकायत सीबीईओ/जिशिअ कार्यालय में करना।	15 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक	अभिभावकों द्वारा
7	आवेदन पत्र में **Correction** की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना।	15 फरवरी 2023 से 23 फरवरी 2023 तक	अभिभावको द्वारा
8	विद्यालय द्वारा संशोधित आवेदनो की पुनः जांच करना	15 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक	गैर सरकारी विद्यालय
9	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना।	28 फरवरी 2023	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

नोटः

01. क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि **"विज्ञापन जारी करना"** के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साईट/स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड,सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पेम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके।
02. संबंधित विद्यालय/कार्यालय/अभिभावक को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।
03. विद्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों में accept/correction/reject option प्रदर्शित होगें। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को correction/reject किये जाने से अभिभावक के असंतुष्ट होने की स्थिति में वे सीबीईओ कार्यालय में परिवेदना प्रस्तुत कर सकेगें।

04. आवेदन की प्रक्रियाः– शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु पीएसपी पोर्टल पर पंजीकृत गैर सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

4.1 अभिभावक द्वारा किये जाने वाले कार्य–

4.1.1 कोई भी अभिभावक अपने Catchment Area के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़िकयों के लिए ही संचालित है उनमें क्रमशः केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों का प्रवेश ही संभव है।

4.1.2 अभिभावक कम्प्यूटर के माध्यम से प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर आवेदन कर सकते है। अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से **"राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप"** डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

4.1.3 सर्वप्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के सम्बन्ध में पात्रता सम्बन्धी आवश्यक सूचनाऐं प्रविष्ट करनी होंगी। आवेदन में बालक के आधार नंबर अथवा आधार पंजीयन नंबर (16 अंको का नंबर) तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करना आवश्यक है। **ध्यान रहें वे छात्र जो आरटीई के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके है, वे पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे।**

4.1.4 सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को आवेदन क्रमांक प्राप्त होगें। इस आवेदन क्रमांक एवं रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग कर अभिभावक को लॉगइन करना है तथा बालक व स्वयं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाओं की एन्ट्री एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करने है।

4.1.5 आवेदन के समय ही समस्त वांछित दस्तावेज अपलोड किये जायेगे। इस हेतु आवेदन फार्म के साथ फोटो, बालक का आयु प्रमाण–पत्र, अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण–पत्र, बालक का आधार कार्ड अथवा आधार पंजीयन रसीद, बालक/बालक के माता–पिता या संरक्षक के एचआईवी प्रभावित होने की रिपोर्ट, बालक/बालक के माता–पिता या संरक्षक के केंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट, बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण–पत्र, अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण–पत्र, बालक के अनाथ होने संबंधी घोषणा, बालक का निःशक्तजन संबंधित प्रमाण–पत्र के दस्तावेज नियमानुसार अपलोड करे। दस्तावेजों की जानकारी हेतु बिंदु संख्या 06 का अवलोकन करें। साथ ही ध्यान रहे कि अपलोड दस्तावेज स्पष्ट एवं पूर्ण होने चाहिए।

4.1.6 अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाऐं प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र (Catchment Area) के **अधिकतम 05** इच्छित विद्यालयों का विकल्प भर सकता है। इन विद्यालयों के आरटीई व नॉन आरटीई प्रवेश की स्थिति तथा वर्तमान सत्र में सम्भावित आरटीई सीट्स की संख्या की जानकारी संबंधित विद्यालय पर क्लिक कर प्राप्त की जा सकेगी।

4.1.7 आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन क्रमांक के माध्यम से उनके आवेदन फार्म की ट्रेकिंग स्टेट्स की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसमें विद्यालय द्वारा आवेदन क्रमांक पर की गई कार्यवाही, आवेदन दस्तावेजों पर लगाये गये आक्षेपों की स्थिति, दस्तावेंजों की जांच की स्थिति विद्यालय में आरटीई छात्र के रूप में प्रवेश की स्थिति व अन्य जानकारी उपलब्ध होंगी। अतः अभिभावक आवेदन करने के बाद समय समय पर आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर उनके आवेदित फॉर्म की स्थिति जांच करें। **(नोटः–छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय–समय पर अपडेट सूचना से सही जानकारी लेते रहे। विद्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदन कर्ता से संपर्क स्थापित कर उन्हें इस बाबत सूचना देना अनिवार्य नहीं है।)**

4.1.8 टाईम फ्रेम अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व (यदि आवेदन को फाईनल लॉक नहीं किया गया है।) अभ्यर्थी भरी गई सूचना में अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 पर ओ.टी.पी. के आधार पर परिवर्तन कर सकते है साथ ही इसी अवधि में, अगर गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है तो सही दस्तावेज दुबारा से अपलोड कर सकतें है। **आवेदन पत्र में फाईनल लॉक के बाद बदलाव संभव नही होगा।** अतः सभी सूचनाएं एवं दस्तावेज सही अपलोड हो जाने के पश्चात् ही फाईनल लॉक करें। आवेदन भरने की अंतिम तिथि को शेष सभी आवेदनों को पोर्टल द्वारा स्वतः ही फाईनल लॉक कर दिया जायेगा।

4.1.9 ऑनलाइन आवेदन के समय बालक/माता–पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाऐं सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें। इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है जिसका दायित्व संबंधित अभिभावक का होगा।

4.1.10 ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गयी सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट लिया जा सकता है।

4.1.11 बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रवेश हेतु वरियता क्रम का निर्धारण सॉफटवेयर द्वारा रेण्डम विधि से किया जाएगा। इसमे शहरी क्षेत्र में वरीयता क्रम इस प्रकार होगाः– 01. विद्यालय का वार्ड 02. कैंचमेट एरिया में विद्यालय के संलग्नक वार्ड 03. कैंचमेट एरिया में अन्य वार्ड।

4.1.12 अभिभावक उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए 05 विद्यालयों में से एक ऐसे विद्यालय का चुनाव करेंगे जिसमें उन्हें प्रवेश मिलने की संभावना हों। इसके लिए अभिभावक लॉटरी से प्राप्त वरियता क्रम का अवलोकन करते हुए तथा विद्यालयों में आरटीई व नॉनआरटीई बालकों के प्रवेश की स्थिति तथा वर्तमान

सत्र में संभावित आरटीई सीट्स की संख्या का अवलोकन करते हुए 05 विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय का विकल्प चुन सकते हैं। आनलाईन रिपोर्टिंग हेतु बिन्दु संख्या 05 का अवलोकन करें।

4.1.13 आवेदन कर्ता अपने आवेदन क्रमांक से समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति पता करेंगें। यदि आवेदन में विद्यालय द्वारा करेक्शन करने की सूचना प्राप्त होती है, तो उस रिपोर्ट/टिप्पणी के आधार पर सही दस्तावेज (उक्त टिप्पणी अनुसार वांछित संशोधन कर अथवा बदलकर पुनः अपने दस्तावेज अपलोड किये जाए) को निर्धारित समय पर अपलोड करेंगे। परन्तु बालक के निवास स्थान का वार्ड नम्बर नहीं बदला जा सकेगा। यह सुविधा केवल सही दस्तावेज अपलोड करने हेतु दी गई है। विद्यालय द्वारा पुनः अपलोड किये गये दस्तावेजों की जांच की जाएगी और विद्यालय इसे Accept/Correction/reject कर सकता है। बालक चाहे तो करेक्शन की स्थिति में पुनः सही दस्तावेज अपलोड कर सकता है अथवा संबंधित CBEO कार्यालय में शिकायत कर सकता है।

4.1.14 आवेदन कर्ता द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों की जांच के संबंध में विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर आवेदन निरस्त/करेक्शन करने अथवा दस्तावेजों की जांच नहीं करने की शिकायत आवेदन कर्ता द्वारा संबंधित CBEO कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेंगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदनकर्ता के दस्तावेजों की जांच कर सही पाये जाने की स्थिति में विद्यालय द्वारा लगाया गया आक्षेप आरटीई पोर्टल से हटाया जा सकेगा तथा यह छात्र नियमानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होगा। सीबीईओ कार्यालय द्वारा परिवेदना निस्तारण की कार्यवाही यथाशीध्र पूर्ण की जाएगी।

4.1.15 विद्यालय में चयन होने के पश्चात् बालक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी विद्यालय में अविलम्ब जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। इन्ही आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों को भौतिक सत्यापन के समय जांच दल को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4.2 गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य–

4.2.1. बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रवेश हेतु वरियता क्रम का निर्धारण सॉफटवेयर द्वारा रेण्डम विधि से किया जाएगा। इसमे शहरी क्षेत्र में वरीयता क्रम इस प्रकार होगाः– 01. विद्यालय का वार्ड 02. कैंचमेट एरिया में विद्यालय के संलग्नक वार्ड 03. कैंचमेट एरिया में अन्य वार्ड।

4.2.2 गैर सरकारी विद्यालय में बालक द्वारा इच्छित विद्यालय में ऑनलाईन रिपोर्टिंग की जायेगी।

4.2.3 विद्यालय में रिपोर्टिंग करने वाले छात्रों की सूची में विद्यार्थियों के आवेदन पत्र के साथ–साथ सभी अपलोड दस्तावेज भी प्रदर्शित होगें। विद्यालय इन दस्तावेजों की जांच निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कर सकेगा। **दस्तावेजों की जांच लॉटरी वरियता क्रम के आधार पर की जानी है** संबंधित विद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में दस्तावेजों को चैक कर के सही/गलत पाये जाने की स्थिति में Accept/ Correction/reject किया जायेगा तथा Accept/Correction/reject की सूचना विद्यार्थी को उसके आवेदन क्रमांक पर प्राप्त हो जायेगी। यदि विद्यालय टाईम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में दस्तावेजों की जांच नहीं करता है अर्थात Accept/Correction/reject में से कोई भी कार्यवाही नहीं करता है इसकी शिकायत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की जा सकेगी, अतः विद्यालय निर्धारित समय में सभी आवेदन पत्रों व दस्तावेजों की जांच कर लेंवे।

4.2.4 गैर सरकारी विद्यालय द्वारा पूर्व में Correction में की गई टिप्पणी के अनुसार बताई गई कमियों के आधार पर इन दस्तावेजों को चैक किया जायेगा। सही पाये जाने की स्थिति में Accept किया जायेगा तथा गलत पाये जाने की स्थिति में Correction/Reject किया जायेगा। विद्यालय द्वारा टिप्पणी के अलावा अन्य किसी कारण से छात्र का फॉर्म Reject नहीं किया जा सकेगा। इसकी सूचना छात्र को उसके आवेदन क्रमांक पर प्राप्त हो जायेगी। यह प्रक्रिया सतत रूप से टाईम फ्रेम अनुरूप अंतिम दिनांक तक जारी रहेगी। **(नोटः–छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय–समय पर अपडेट सूचना से सही जानकारी लेते रहे। विद्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदन कर्ता से संपर्क स्थापित कर उन्हें इस बाबत सूचना देना अनिवार्य नहीं है।)**

4.2.5 आवेदन कर्ता द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों की जांच के संबंध में विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर आवेदन निरस्त/करेक्शन करने की शिकायत पर आवेदन कर्ता द्वारा परिवेदना संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की जा सकेंगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदनकर्ता

के दस्तावेजों की जांच कर सही पाये जाने की स्थिति में विद्यालय द्वारा लगाया गया आक्षेप आरटीई पोर्टल से हटाया जा सकेगा तथा यह छात्र नियमानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होगा।

अतः विद्यालय द्वारा इस तथ्य का ध्यान रखा जाएगा कि उनके द्वारा किसी भी आवेदन को गलत टिप्पणी/कारण से निरस्त/करेक्शन नहीं किया जाए। विद्यालयों द्वारा अनुचित कारणों से ही आवेदन को निरस्त/करेक्शन कर दिया जाता है, ताकि उनके द्वारा आरटीई प्रवेश ना लिये जाए अथवा अन्य आवेदनकर्ता को आरटीई का लाभ दिया जा सकें। इस प्रकार इस कृत्य से आवेदनकर्ता बालक के पात्र होते हुए भी वह आरटीई प्रवेश से वंचित हो जाता है। अतः यदि सीबीईओ द्वारा किसी विद्यार्थी के **निरस्त/करेक्शन** किये गये आवेदन की कार्यवाही को गलत पाया जाता है, तो संबंधित सीबीईओ की विद्यालय के विरूद्ध की गई अनुशंषा के आधार पर विद्यालय के विरूद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 के अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी।

4.2.6 विद्यालय द्वारा सःशुल्क विधार्थियों की एन्ट्री राज्य सरकार द्वारा जारी टाईमफ्रेम अनुसार की जा सकेगी। जेसे ही विद्यालय द्वारा सःशुल्क विधार्थियों की एन्ट्री की जायेगी, पोर्टल द्वारा स्वतः ही तात्कालिक वरीयता क्रम के आधार पर RTE विधार्थियों का चयन करते हुए एसआर नंबर आंवटित किया जाएगा तथा साथ ही सशुल्क विद्यार्थियों को भी एसआर नबंर एन्ट्री के साथ ही दे दिया जाएगा। **इस प्रकार शैक्षिक सत्र 2022–23 से सःशुल्क एवं निःशुल्क सीट्स पर होने वाले सभी नव–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही किये जाऐगें तथा इन विद्यार्थियों को एसआर नंबर आरटीई पोर्टल द्वारा ऑटो–मेटिक जनरेट किये जायेंगे।**

4.2.7 **टाईम फ्रेम अनुसार निर्धारित अंतिम दिनांक को पोर्टल द्वारा स्वतः ही गैर सरकारी विद्यालय में पंजीकृत नॉनआरटीई छात्रों की संख्या के आधार पर आरटीई सीट्स पर बालकों का चयन किया जाएगा। अतः विद्यालय में प्रवेशित नॉनआरटीई छात्रों की एन्ट्री तत्काल ही पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। इस आधार पर प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं पर बाद में विचार नहीं किया जा सकेगा।**

4.3 सीबीईओ/जिशिअ मु0 कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य–

4.3.1 सीबीईओ/जिशिअ मु0 कार्यालय द्वारा निम्न कार्य किये जाने है–

01. सीबीईओ/जिशिअ मु0 कार्यालयों में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं आरटीई प्रभारी/कनिष्ट सहायक/एमआईएस शामिल होगें। ये कमेटी आरटीई परिवेदनाओं के निस्तारण संबंधित कार्यों का सम्पादन करेगीं।
02. आवेदन कर्ता द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों की जांच के संबंध में विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर आवेदन निरस्त/करेक्शन करने अथवा दस्तावेज जांच नहीं करने की शिकायत आवेदन कर्ता द्वारा संबंधित **CBEO** कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेंगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदनकर्ता के दस्तावेजों की जांच कर सही पाये जाने की स्थिति में विद्यालय द्वारा लगाया गया आक्षेप आरटीई पोर्टल से हटाया जा सकेगा तथा यह छात्र नियमानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होगा। सीबीईओ कार्यालय द्वारा परिवेदना निस्तारण की कार्यवाही यथाशीध्र पूर्ण की जाएगी।
03. यदि सीबीईओ द्वारा किसी विद्यार्थी के करेक्शन/निरस्त किये गये आवेदन की कार्यवाही को गलत पाया जाता है, तो संबंधित सीबीईओ की विद्यालय के विरूद्ध की गई अनुशंषा के आधार पर विद्यालय को दिये जाने वाले आरटीई पुनर्भरण में से प्रति छात्र एक हजार रूपये की शास्ति लगायी जा सकेगी।
04. यदि किसी विद्यालय में किसी पूर्व प्राथमिक कक्षा में एक भी नॉनआरटीई प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटीई प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। ऐसे विद्यालयों की सूची संबंधित **DEO HQ** के लॉगिन में प्रदर्शित होगीं। इस कार्यालय द्वारा उस विद्यालय के संचालन की नियमानुसार जांच करवाई जाएगी। यदि विद्यालय संचालित नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार विद्यालय बंद करवाये जाने की कार्यवाही हेतु संबंधित अनुभाग को प्रस्ताव प्रेषित किये जाऐगें।

05. **विद्यालय में रिपोर्टिंगः–**

5.1 केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया से प्राप्त वरियता क्रम के अवलोकन के आधार पर अभिभावकों द्वारा संबंधित इच्छित विद्यालय में ऑनलाईन रिपोर्टिंग की जाएगी। इस हेतु अभिभावक आवेदन पत्र में भरे गये 05 विद्यालयों के विकल्प में से केवल **एक विद्यालय** में ऑनलाईन रिपोर्टिंग करेगें। इस हेतु उन्हे आवेदन

क्रमांक के आधार पर लॉगिन कर आवेदित 05 विद्यालय में से किसी एक विद्यालय का चयन करना होगा।

5.2 छात्र द्वारा ऑनलाईन रिपोर्टिंग करने के आधार पर संबंधित विद्यालय द्वारा जब सःशुल्क विद्यार्थियों की एन्ट्री की जाएगी, तो नियमानुसार वरियता क्रम में आने वाले छात्र का निःशुल्क प्रवेश संबंधित विद्यालय में चयन पोर्टल द्वारा किया जाएगा।

5.3 निःशुल्क प्रवेश पैरा–8 में वर्णित रोस्टर प्रक्रिया से होगा।

06. आवेदन पत्रों की जॉचः–गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी। दस्तावेजों की वैधता के संबंध में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। विद्यालय आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चैक लिस्ट निम्नप्रकार है–

6.1 "दुर्बलवर्ग" के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजः–

6.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र। **(परिशिष्ट–6 अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में)**

6.1.2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

6.1.3 बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

6.2 "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजः–

6.2.1 बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अथवा बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र अथवा अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा अथवा एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र (पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र सहित) अथवा बी.पी.एल.कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)

6.2.2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

6.2.3 बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

6.3 **आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। लॉटरी दिनांक या उसके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। गत सत्रों के वार्षिक आय के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों के वर्तमान सत्र के लिए प्रस्तुत किये गये आय प्रमाण–पत्र वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक के मान्य होंगे।**

6.4 अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई जानकारियों से सम्बन्धित दस्तावेज ही संलग्न करने हैं। ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज में उपलब्ध जानकारियों के भिन्न पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकेगा। निःशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक द्वारा अपलोड किये गये किसी भी दस्तावेज के अपूर्ण/असत्य पाये जाने पर विद्यालय सम्बन्धित बालक का प्रवेश उक्त निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के अनुसार निरस्त कर सकेगा। जिन अभिभावकों ने अपने निवास एवं विद्यालय का वार्ड/ग्राम समान होने का विकल्प चुना है, उनके निवास प्रमाण–पत्र की गहनता से जॉच कर इस तथ्य की पुष्टि कर लें, तथा यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो गलत सूचना दिए जाने के कारण आवेदन निरस्त होगा।

07. केन्द्रीकृत लॉटरी प्रकिया :–

7.1 ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश हेतु वरीयताक्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए परिशिष्ट–3 का अवलोकन करें।

7.2 यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वरीयता सूची में विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर ऑन लाईन आवेदन करने वाले सभी बालकों के नाम सम्मिलित किये गये हैं। **अतः यह प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची है, इसे प्रवेश के लिए चयन सूची नहीं माना जावे।**

7.3 इस सूची का उपयोग पोर्टल द्वारा शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों के साथ सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया में किया जाएगा। विद्यालय इस सूची को अपनी वेबसाईट/नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा एवं सभी अभिभावकों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी।

7.4 इस प्रकार 75 प्रतिशत प्रवेशित बालकों की विद्यालय द्वारा प्रवेश दिनांक को वेब पोर्टल पर एन्ट्री की जाएगी जिसके आधार पर पोर्टल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आरटीई सीट्स पर विद्यार्थी का चयन किया जा सकेगा।

08. प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया :–

निःशुल्क प्रवेशित बालकों की केन्द्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्सपर प्रविष्ट बालकों की सूची को निम्नांकित रोस्टर के आधार पर तैयार किया जायेगा :–

1.सामान्य प्रवेश	11.सामान्य प्रवेश	**21.निःशुल्क प्रवेश**	31.सामान्य प्रवेश
2. निःशुल्क प्रवेश	12.सामान्य प्रवेश	22.सामान्य प्रवेश	32.सामान्य प्रवेश
3.सामान्य प्रवेश	**13.निःशुल्क प्रवेश**	23.सामान्य प्रवेश	**33.निःशुल्क प्रवेश**
4.सामान्य प्रवेश	14.सामान्य प्रवेश	24.सामान्य प्रवेश	34.सामान्य प्रवेश
5. निःशुल्क प्रवेश	15.सामान्य प्रवेश	**25. निःशुल्क प्रवेश**	35.सामान्य प्रवेश
6.सामान्य प्रवेश	16.सामान्य प्रवेश	26.सामान्य प्रवेश	36.सामान्य प्रवेश
7.सामान्य प्रवेश	**17.निःशुल्क प्रवेश**	27.सामान्य प्रवेश	**37.निःशुल्क प्रवेश**
8.सामान्य प्रवेश	18.सामान्य प्रवेश	28.सामान्य प्रवेश	38.सामान्य प्रवेश
9.निःशुल्क प्रवेश	19.सामान्य प्रवेश	**29.निःशुल्क प्रवेश**	39.सामान्य प्रवेश
10.सामान्य प्रवेश	20.सामान्य प्रवेश	30.सामान्य प्रवेश	40.सामान्य प्रवेश

कुल निःशुल्क प्रवेश–10 सामान्य प्रवेश – 30

- उपरोक्त रोस्टर एन्ट्री कक्षा के लिए 40 बालकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यहीं प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।
- 40 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिन्दु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे।

09. यदि किसी विद्यालय में किसी पूर्व प्राथमिक कक्षा में एक भी नॉनआरटीई प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटीई प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा।

10. गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में लिये गये निःशुल्क प्रवेशित बालकों के कक्षा–1 में क्रमोन्नत होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इनका पुनर्भरण प्रारम्भ किया जायेगा। सभी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में गैर सरकारी विद्यालय द्वारा उक्त निःशुल्क प्रवेशित बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना बाध्यकारी है।

परिशिष्ट – 1(संदर्भित अध्याय–1)
आदेश/परिपत्रों का सारांश

- **विशेष आवश्यकता वाले बालकों का प्रवेशः–** विकलांगता से ग्रसित बालक–बालिकाओं को अधिनियम के प्रावधानानुसार अनिवार्यतः विद्यालय में प्रवेश दिया जाकर उनके लिए समुचित शैक्षणिक, वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने संबंधी आदेश दि. 12.9.2011 को जारी किये गये।

- **विद्यालयों द्वारा बालकों से लिये जा रहे शुल्क के स्थान पर अनुदान/दान/चंदा/सहयोग के नाम से रसीदे काटना :–**25 प्रतिशत सीट्सपर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट अथवा विद्यालय द्वारा बालकों से ली जाने वाली फीस, जो भी कम हो का किया जाता है। अतः यदि विद्यालयों द्वारा अभिभावकों/बालकों से अनुदान/दान/चंदा/सहयोग आदि लिये जा रहे है तो यह राशि पुनर्भरण के योग्य नहीं मानी जायेगी।

- **अभिभावकों द्वारा निःशुल्क प्रवेशित बालकों के विद्यालय परिवर्तन के सम्बन्ध में :–**यदि कोई अभिभावक स्वेच्छा से अपने बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित करना चाहता है तो विद्यालय परिवर्तन होते ही वह बालक फीस के पुनर्भरण का पात्र नहीं माना जावेगा। (दि. 30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

- **अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र लिया जाना :–**निःशुल्क प्रवेश के लिए असुविधाग्रस्त समूह एवं कमजोर वर्ग में सम्मिलित किये गये बालकों की एक श्रेणी अभिभावकों की वार्षिक आय (वर्तमान में रूपय 2.50 लाख या कम) के आधार पर निर्धारित की हुई है। आय के आधार पर प्रवेशित बालकों के अभिभावकों से प्रतिवर्ष आय का प्रमाण पत्र लेना होगा तथा उस आय के आधार पर ही फीस के पुनर्भरण की पात्रता पर विचार किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र बालक के प्रवेश दिये जाने वाले दिनांक के पूर्व के वित्तीय वर्ष (1अप्रैल से 31 मार्च) की आय के संबंध में होगा शैक्षिक सत्र 2022–23 में आय के आधार पर निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश केवल उन्ही बालक/बालिकाओं का होगा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये है। अतः इन बालक/बालिकाओं के लिए प्रतिवर्ष 2.50 लाख रूपये तक का वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र लिया जायेगा।

- **निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों की पाठ्यपुस्तकों के संबंध में**:– राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक निर्धारित व्यय (यूनिट कॉस्ट) में पाठ्यपुस्तकों की कीमत सम्मिलित की गई है। अतः सम्बन्धित पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्सपर प्रवेश लेने वाले बालकों को पाठ्यपुस्तकें विद्यालय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाऐंगी। (दि.30.4.2013 को जारी दिशा निर्देश)

परिशिष्ट –2(संदर्भित पेरा–4)

प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप

विद्यालय का नाम.....

आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्सपर "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के प्रवेश हेतु

आवेदन–पत्र

(भाग–अ)

प्रवेशार्थी का फोटो

1. प्रवेशार्थी की सूचनाः–

1.1 प्रवेश हेतु कक्षा .....

1.2 प्रवेशार्थी का नाम.....

1.3 लिंग .....

1.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....

1.5 जन्म तिथि (अंको में) ...../...../..... (शब्दों में).....

1.6 जाति वर्ग(SC/ST/OBC/SBC/GEN).....

1.7 प्रवेशार्थी का धर्म .....

1.8 क्या प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) श्रेणी मे आता है ? .....

2.प्रवेशार्थी के अभिभावक से सम्बन्धितसूचनाः–

2.1 पिता का नाम..... .2.2 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....

2.3 माता का नाम..... 2.4 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....

2.5 संरक्षक का नाम (यदि लागू हो).....2.6 आधार न. (यदि उपलब्ध हो).....

2.7 क्या अभिभावक (BPL) श्रेणी के अर्न्तगत आते है ? .....

2.8 संरक्षक/अभिभावक (परिवार) की कुल वार्षिक आय (रूपये में)– .....

2.9 माता/पिता/संरक्षक का मोबाइल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3. माता/पिता/संरक्षक का पूरा पता (संलग्न दस्तावेज के अनुसार):–

.....

ग्राम का नाम/वार्ड नं0..... पिन कोड ☐☐☐☐☐☐

ग्राम पंचायत या नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम .....

ब्लॉक ..... जिला.....

4. प्रवेशार्थी का वर्ग(संबंधित बॉक्स मे ✓ करें):–

4.1दुर्बल वर्ग

4.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक है। ☐

4.2 असुविधाग्रस्त समूह

4.2.1 अनुसूचित जाति ☐

4.2.2 अनुसूचित जनजाति ☐

4.2.3 बालक अनाथ आश्रम का निवासी है। ☐

4.2.4 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक एचआईवी से प्रभावित है। ☐

4.2.5 बालक/बालक के माता/पिता या संरक्षक केंसर ग्रस्त है। ☐

4.2.6 बालक की माता युद्ध विधवा है। ☐

4.2.7 बालक निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में है। ☐

विशेष आवश्यकता की श्रेणी.....

4.2.8 पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक है। ☐

4.2.9. बीपीएल ☐एल क्रमांक..... केन्द्र/राज्य सूची.....

5. **निवास के सम्बन्ध में विकल्पः–**

☐ा बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।

☐ क्या बालक उस वार्ड (शहरी क्षेत्र के लिए) अथवा ग्राम(ग्रामीण क्षेत्र के लिए) से बाहर का लेकिन उस शहरी स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत का निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।

नोट :–1 आयु, जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

2. बालक/बालिकाकी आधार संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में आधार कार्ड बनवाया जाना अथवा आधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाया जाना शीघ्र सुनिश्चित करें तथा यह नम्बर विभाग द्वारा विद्यालय के करवाए जाने वाले भौतिक सत्यापन से पूर्व सम्बन्धित विद्यालय को उपलब्ध करवा दें।

3. ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के संलग्न दस्तावेजों से मिलान नहीं होने पर अथवा किसी दस्तावेज के अपूर्ण/गलत पाये जाने पर आवेदन पत्र/निःशुल्क प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

4. आवेदन के समय बालक की जन्म तिथि हेतु जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर कोई अन्य दस्तावेज दिया गया है तो प्रवेश उपरान्त जन्म प्रमाण–पत्र बनवाकर विभाग द्वारा बालकों के भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध करवा दिया जाए।

(भाग–ब)

माता/पिता/संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा

1. मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में प्रवेशार्थी व स्वयं के सम्बन्ध में दी गई समस्त सूचनाऐं सही हैं। किसी भी प्रकार की गलत सूचना के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि विद्यालय के नियमों/उप नियमों का सदैव पालन करूँगा/करूँगी।
3. **मुझे यह ज्ञात है कि आवेदन क्रमांक के माध्यम से मुझे इस आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी। मैं आवेदन क्रमांक को समय–समय पर लॉगिन कर इस जानकारी के अनुरूप विद्यालय रिपोर्टिंग तथा दस्तावेजों में पाई गई कमियों की पूर्ति निर्धारित समय पर करूंगा। टाईम फ्रेम अनुरूप कार्य नहीं करने पर मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जावे।**

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक : .....

हस्ताक्षर/अगूँठे का निशान

(माता/पिता/संरक्षक)

परिशिष्ट –3(संदर्भित अध्याय– 2 का पैरा–8)
प्रवेश प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण

उदाहरण– 1: एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित है तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :–

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में प्रवेश की क्षमता– 40
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्सकी संख्या– 10
3. ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र– 50
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन– 30
5. ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन– 20

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त सभी–50 आवेदन पत्र शामिल किये जाऐंगे लेकिन विद्यालय जिस गांव में स्थित है, उस गॉव के 30 आवेदनों को सर्वप्रथम रैण्डम किया जाकर सूची तैयार की जाएगी तथा ग्राम पंचायत के अन्य गांव व ढाणी से प्राप्त शेष 20 आवेदनों को रैण्डम करने के बाद उस सूची में नीचे जोड़ा जाएगा। इस सूची में से ही वरीयता के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, यदि कोई बालक प्रवेश नहीं लेता है तो वरीयता सूची में से अगले बालक को प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित गांव के बालकों को निःशुल्क प्रवेश में वरीयता दी जाती है।

उदाहरण– 2 : एक निजी विद्यालय शहरी क्षेत्र केवार्ड संख्या 17 में स्थित है। इस शहरी निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) में कुल 45 वार्ड है, ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :–

1. विद्यालय की एन्ट्री कक्षा में सीट्स की संख्या– 60
2. अधिनियम 2009 के अनुसार : 25 प्रतिशत सीट्सकी संख्या–15
3. शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र– 80
4. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से विद्यालय से संबंधित वार्ड सं. 17 से प्राप्त आवेदन– 10
5. शहरी निकाय के वार्ड सं. 17 के संलग्नक वार्ड (adjoining ward) की संख्या–3
6. उपरोक्त आवेदन पत्रों में से वार्ड सं. 17 के संलग्नक वार्डों से प्राप्त आवेदन– 20
7. शहरी निकाय के अन्य समस्त 41 वार्डो से प्राप्त आवेदन– 50

उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त सभी–80 आवेदन पत्र शामिल किये जाऐंगे, लेकिन विद्यालय जिस वार्ड में स्थित है, उस वार्ड संख्या–17 के 10 आवेदनों को सर्वप्रथम रैण्डम किया जाकर सूची तैयार की जाएगी। इसकें बाद संलग्नक 03 वार्डों से प्राप्त 20 आवेदनों को तथा अन्त में शहरी निकाय के शेष 41 वार्डों से प्राप्त 50 आवेदनों को रैण्डम करने के बाद उस सूची के निचे जोडा जायेगा । इस सूची में से ही वरीयता के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, यदि कोई बालक प्रवेश नहीं लेता है तो वरीयता सूची में से अगले बालक को प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से संबंधित वार्ड के बालकों को निःशुल्क प्रवेश में वरीयता दी जाती है।

नोटः विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट्स पर प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाये जाने की स्थिति में भी विद्यालय के कैचमेन्ट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीट्स पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परिशिष्ट –4
सामान्यतया पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रश्न –1 यदि किसी कारणवश निःशुल्क प्रवेशित बालक शैक्षिक सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ दे तो इसके पुनर्भरण का क्या होगा ?

उत्तर – गैर सरकारी विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित केवल उन्हीं छात्रों का पुनर्भरण होगा जो सत्र पर्यन्त अध्ययनरत रहा है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ने/टी.सी.लेकर अन्य विद्यालय में चले जाने/बिना टी.सी. लिये किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लेने/छात्र की मृत्यु हो जाने आदि कारणों से उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा हो, तो ऐसे छात्र की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा यह सत्यापन दल सुनिश्चित करेगा। सत्यापन दल यह भी आकलन करेगा कि विद्यालय से ड्राप आउट बालकों की फीस के पुनर्भरण पेटे कितनी राशि विद्यालय को भुगतान की जा चुकी है। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक सत्रारम्भ से 31 अगस्त के मध्य कभी भी उपरोक्त वर्णित कारणों से ड्राप आउट हुआ है तो विद्यालय को उस बालक के सम्बन्ध में प्रथम किश्त का तो पुनर्भरण होगा परन्तु द्वितीय किश्त का पुनर्भरण नहीं होगा।

प्रश्न –2 निजी स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु राज्य सरकार से क्या निर्देश है ?

उत्तर – बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्कूल भवन होना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि जो निजी शैक्षिक भवन 50 वर्ष तक पुराने है, उनके संबंध में प्रत्येक 3 साल में एक बार P.W.D.अथवा अन्य राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।

प्रश्न –3 यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित होता है तथा किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या उस विद्यालय को आरटीई के अन्तर्गत 25प्रतिशत सीट्सपर निःशुल्क प्रवेश देने हैं?

उत्तर – ऐसे विद्यालयों को भी 25 प्रतिशत सीट्सपर ''दुर्बलवर्ग'' व ''असुविधाग्रस्त समूह'' के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बालकों को निःशुल्क प्रवेश देने है, लेकिन इन विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण देय नहीं होगा।

प्रश्न –4 यह कैसे स्पष्ट हो कि कोई विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आता है तथा वह आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश के दायरे से बाहर है ?

उत्तर – राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29/30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाऐं घोषित की जाती है। अतः इन विभागों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही विद्यालय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना जायेगा।

प्रश्न –5 आवेदन में करेक्शन कब तक किया जा सकेगा?

उत्तर – आवेदन में करेक्शन के लिये काफी समय दिया गया है परन्तु जितना जल्दी यह करेक्शन कर आवेदन को सही करवा लिया जाएगा उतना ही आपके आरटीई के तहत चयनित होने की संभावना बढ जाएगी।

प्रश्न –6 विद्यालय द्वारा आवेदन को रिजेक्ट किये जाने पर अभिभावक क्या कर सकेगें?

उत्तर – विद्यालय द्वारा आवेदन की जांच किये जाने हेतु काफी समय दिया गया है और इसी प्रकार करेक्शन हेतु भी काफी समय दिया गया है। यह सतत प्रक्रिया के रूप में निर्धारित समय तक जारी रहेगा। टाईम फ्रेम अनुरूप अंतिम समय में ही इस आवेदन को रिजेक्ट किये जाने का ऑपशन विद्यालय को प्रदर्शित होगा। यदि विद्यालय द्वारा आपके आवेदन को रिजेक्ट करने की कार्यवाही से अभिभावक असंतुष्ट है तो वे संबंधित सीबीईओ कार्यालय में अपने आवेदन की प्रति के साथ दस्तावेज ले जाकर परिवेदना दे सकते है। इस हेतु निर्धारित समय दिया गया है तथा इसी समय में ही आपके आवेदन की जांच कर तत्काल ही सीबीईओ द्वारा पोर्टल पर कार्यवाही की जा सकेगी। सही पाये जाने पर आपके आवेदन के सही होने की एन्ट्री पोर्टल पर की जाएगी। आरटीई सीट्स उपलब्ध होने की स्थिति में आपका प्रवेश संबंधित विद्यालय में हो सकेगा।

प्रश्न –7 विद्यालय द्वारा आवेदन को गलत कारण से करेक्शन किये जाने पर अभिभावक क्या कर सकेगें?

उत्तर – विद्यालय द्वारा आवेदन की जांच कर बार–बार करेक्शन दिया जाना अर्थात् गलत कारण से करेक्शन दिये जाने पर उक्तानुसार ही सीबीईओं कार्यालय में परिवेदना की जा सकती है।

प्रश्न –8 क्या विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा पुनः आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर – विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा पुनः आवेदन नहीं किया जा सकेगा। इस हेतु इस बार से आवेदन करते समय आधार नम्बर या आधार पंजीयन नम्बर की एन्ट्री करनी अनिवार्य होगी।

परिशिष्ट –5

वार्ड परीसीमन के कारण वार्ड परिवर्तित होने की स्थिति में संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदनकर्ता का नाम .....
.....पुत्र/पुत्री श्री ..... द्वारा आवेदन क्रमांक .....
में भरा गया निवास स्थान .....का गांव/वार्ड संख्या .....वर्तमान में पूर्ण रूप से सत्य है। वार्ड परीसीमन से पूर्व इस निवास स्थान का गांव/वार्ड संख्या ..... था। इसमें किसी भी तथ्य को छुपाया/घटाया या बढाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर
संबंधित सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद/बीएलओ
नाम .....
पद.....
मोहर .....

हस्ताक्षर
राजपत्रित अधिकारी
नाम .....
पद.....
मोहर .....

परिशिष्ट –6

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु 2021–22

प्रारूप भाग–I

1. प्रार्थी (विधार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....
   पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह.....
2. निवास स्थान का पूर्ण पताः–.....
3. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोडकर).....(जो स्पष्ट अंकित हो)
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोंतो से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरणः–(संबंधित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म नं 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि (.....) आदि से आयः रू.....		(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान निकाय आदि से आयः रू.....
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय मजदूरी आदि से आय रू.....		(4) मशीनरी किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय रू.....
(5) अन्य स्त्रोतों से आयः रू.....		कुल वार्षिक आयः रू.....

मैं प्रमाणित करता/करती हुं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
आय की घोषणा करने वाले का नाम.....
मय विद्यार्थी से संबंध.....

प्रारूप भाग–II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण–पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि प्रार्थी/प्रार्थियां.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....को भली प्रकार से जानते हैं इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियां के पास आय का कोई अन्य स्त्रोंत नही हैं

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
का नाम.....
(पद नाम दिनांक मय मोर)

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति
का नाम.....
(पद नाम दिनांक मय मोर)

नोटः– (उत्तरदायी व्यक्ति यथा संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अंभिशषा करवाए।)

प्रारूप भाग–III

में.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हुं कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की (जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रू.....अक्षरे रू..... है। उक्त शपथ–पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया हैं, जो सही हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही अस्तय लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपुर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते है। में, यह अच्छी तहर समझता हुं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती हैं

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग–IV (प्रमाणिकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम).....पिता/पति का नाम .....आयु.....निवासी .....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी
का नाम मय पद एवं सील

(कार्यापालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर)